

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

प्राथी

बनाम

अप्राथीगण

चन्दा

मगवानराहाय व अन्य

संख्या 76/25 (2025/

online number)

प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से

विषय

विवरण

2025

यह प्राथीना पत्र प्राथी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा-212राजस्थान कानूनकारी अधिनियम नं०५५ के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्राथी के अधिकारता श्री विनोद कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्राथीगणों को यदि अधिलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्राथीना-पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्राथीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्राथी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दरतावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या है, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम रलावता प.ह. सिन्दोली भूअभिनिक्षेत्र फाल्गावास तहसील बरसी जयपुर की विवादित आराजी खसरा नम्बर 112, 127, 55, 82, 94 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 9.3699 है० अर्थात् 37 बीघा 1 बिस्वा के संबंध में अप्राथीगणों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/06/2025 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड की यथस्थिति बनाए रखें। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्राथीना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति जाद पत्र की प्रति एवं सभी दरतावेजों की प्रति जरिये रजि० डाक पत्र के अप्राथीगणों को नोटिस जारी होकर इस आशय का प्रमाण पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करें। नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/06/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बरसी, जयपुर

1/25

~~पत्रावली पेश। प्राथी अधिका न रजिस्टर होकर
रजि० नोटिस की रली ई पेश की। शक्ति पत्रावली
किपा गण। इंतजार तलबी दिनांक 11/7/25 को
पेश की पुनरुपस्थापित। - मूलवाद के अधि. मजिस्ट्रेट-रजि०
के प्रार्थी नं० (6) की ओरल 05 की। गेव
की इंतजार तलबी दिनांक 11/7/25 को पेश~~

उपखण्ड अधिकारी
बरसी ज.अ-जयपुर

17/25


~~पत्रावली पेश। वही पत्रावली उ०। मूलवाद के
02/11 पेश। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक
15/7/25 को पेश की~~

उपखण्ड अधिकारी
बरसी ज.अ-जयपुर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

क्रमांक: 4-6 मगवान सहाय

दिनांक आज्ञा या कार्रवाई	आज्ञा विस्तृत रूप से	धिरांग विवरण
15/7/25	पत्रावली पेश हुई। प्रकृतलय द्वारा कन्वोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17/7/25 को पेश हो गई।	
17/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील बाबी पेशगीतान उपस्थित। पत्रावली पूर्व बादे अनुरोध दिनांक 18/7/25 को पेश हो गई।	
01/8/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा बर/कार्य में तब्दी रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 4/8/25 को पेश हो गई।	
4/8/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा बर/कार्य में तब्दी रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो गई।	
25/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रकृतलय द्वारा कन्वोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 26/8/25 को पेश हो गई।	
26/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना उपस्थित। प्रार्थना पत्र तः से संबंधित मूल वाद के विद्गे होने प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र तः को इत्ती स्तर पर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा	


फर्द अहकाम
 नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण संख्या

चन्द

बनाम

भगवान सहाय

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>जारी स्थगन अन्तरिम आदेश दिनांक 02/06/25 को खारजी होने खारज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर द्वाविष दफ्तर हो</p> <p style="text-align: right;">  02/6 उपखण्ड अधिकारी बस्ती जिला-जयपुर </p>